Annual Programme for 2019-20 for use of Hindi

<u>S.1</u>	<u>0</u>	DETAILS OF WORK	<u>'A' REGION</u>		'B' REGIO	<u>N</u>	<u>'C' REGION</u>	<u>I</u>
1	l .	Originating Correspondence in Hindi (including E-mail)	1. From A to A 2. From A to B 3. From A to C	100% 100% 65%		90% 90% 55%	1. From C to A 2. From C to B 3. From C to C	55% 55% 55%
			4. From Region A to Offices/ Individuals in States / UTs of A & B region	100%	4.From Region B to Offices Individual in States / UTs of A & B region	90% s	4. From Region C to Offices/ Individuals in States / UTs of A & B region	55%
		rs received in Hindi to be ered in Hindi		100%	100%		100%	
3. Noting in Hindi				75%	50%		30%	
4. 1	Γrain	ing Programme through Hi	ndi Medium	70%	60%		30%	
		uitment of employees utiliz i Typing & Stenographers	zed for	80%	70%		40% .	
		ation in Hindi/ Direct Typin Board (self and by the Asst		65%	55%		30%	
7.	Hind	di Training (Language, Typir	ng/ Stenography)	100%	6 100%		100%	
8.	Prep	paration of Bilingual Trainir	ng Material	100%	6 100%		100%	
 	Hind i.e., amo and	enditure for the purchase of li books etc., including digit Hindi e-books, CD/DVD, Pe unt incurred on Translatior Regional Languages out of uding journals and standa	al matters in Drive including in in Hindi from English the total Library grant	50%	50%		50%	
10.		chase of all electronic equi luding computers in bilingu		100%	% 100%	6	100%	
11.	We	ebsite bilingual		1009	% 100%	5	100%	
12.		zen Charter and display of erface information Board b		1009	% 100%	5	100%	

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2019-20 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	<u>कार्य विवरण</u>	" <u>क" क्षेत्र</u>	<u>"ख" क्षेत्र</u>	" <u>ग" क्षेत्र</u>
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)		100% 1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 100% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 65% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 100% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	2 गक्षेत्र से खक्षेत्र को 55% 3 गक्षेत्र से गक्षेत्र को 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद ।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डो आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%

13. {I} Inspection by Ministries/ 25% (minimum) 25% (minimum) 25% (minimum) **Departments/ Offices of their offices** located outside their Headquarters & by the officers (DS/Dir/JS) of DOL(% of Offices) {II} Inspections of sections at 25% (minimum) 25% (minimum) 25% (minimum) Headquarters. {III} Joint inspections by the officers At least one inspection in a year. concerned & those of the Deptt. of Official Language of Foreign based Undertakings/ Offices etc. owned or controlled by the Central Government. 14. Meetings regarding Official Language {A} Hindi Salahakar Samiti 02 meetings in a year **{B} Town Official Language** 02 meetings in a year (One meeting every 6 months) Implementation Committee. {C} Official Language 04 meetings in a year (One meeting every quarter) Implementation Committee.

100%

15. Translation of Codes, Manuals, Forms, Procedural literature.

13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार सिमिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन सिमिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन सिमिति		वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और	100%		

साहित्य का हिंदी अनुवाद